फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली जिला उदयपुर(राज.)

प्रार्थी श्री हीरापुरी बनाम श्री भगवानपुरी

किस्म मुकदमा : 212 R.T.Act पत्रावली संख्या : 22/23 (प्रा.पत्र)

क्रम संख्या	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनायें जो जारी की गई ।
	दिनांक : 03.06.2023 पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। अधिवक्ता श्री कमलेश रेगर द्वारा प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का दस्तावेजात के पेश कर विपक्षीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाने का निवेदन किया। हमनें अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर मनन किया। दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी के अधिवक्ता को सुना। प्रकरण में वर्णित तथ्यों एवम दस्तावेजात के आधार पर प्रकरण आवश्यक प्रकृति का प्रतीत होता है। अतः प्रकरण में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा इस अमर की जारी की जाती है कि **मौजा लदानी पटवार हल्का लदानी की आराजी नम्बर 1774/593, 1775/728, 599, 600, 659, 660, 666, 672, 680, 683, 684, 686, 699, 700, 708, 724, 725 किता 17 रकबा 3.3427 हेक्टेयर भूमि में विपक्षीगण आगामी पेशी/जवाब पेश होने तक वादग्रस्त आराजीयात के मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाए [illegible]** विपक्षी सं. 1 से 5 को [illegible] आरजी मजरिया जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी विपक्षीगण दिनांक 11.07.2023 को पेश हो। सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रेक) मावली	

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.10.31 17:33:00 IST
Reason: SelfAttested

11/7/23
आज दिनांक को बार एसोसियेशन मावली नें कार्य स्थगित रखने का अनुरोध किया। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक.... 10/10/23 ....को पेश हो।

10/10/23
पत्रावली पेश ... वकील प्रार्थी/अपीलाण्ट/ प्रतिवादी/विपक्षी/रेस्पो उपस्थित/पीठासीन अधिकारी महो आज अवकाश/भ्रमण/मिटिंग । पधारे है। पत्रावली पूर्व आदेश की पालना में दिनांक 16/1/24 ....को पेश हो

13/10/23

पत्रावली प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री भेरूलाल
आए द्वारा प्रार्थना तलबी मय बिट्टो का पेश करने पर
तलब की गई। प्रार्थी मय अधिवक्ता द्वारा प्रा.पत्र पेश
कर पक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा हो जाने से
अब इस पत्रावली में कोई कार्यवाही नहीं चाहकर प्रकरण
को इसी स्तर पर ड्रोप किया जाने का निवेदन किया।
प्रार्थी की पहचान उनके अधिवक्ता द्वारा की गई। अतः
प्रार्थी कोई कार्यवाही नहीं चाहने से प्रकरण को आगे
चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः उक्त
प्रकरण में प्रार्थी कोई कार्यवाही नहीं चाहने से प्रकरण
को इसी स्तर पर ड्रोप किया जाता है। पत्रावली
फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

हीरापुरी
P.a.
Sd/-

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रेक) मावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Shrikant Vyas
Date: 2023.10.31 17:33:00 IST
Reason: SelfAttested